न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 100 / 2016

1 नानगराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी संतोषपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 गिरधारीलाल पुत्र नानगराम।
2 झाबरमल पुत्र नानगराम।
3 गोगराज पुत्र नानगराम समस्त जाति जाट निवासीगण सन्तोषपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का लापुवा जिला सीकर।
5 उप पंजियक महोदय श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 भूमिधारी तहसीलदार महोदय श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 29.09.2016 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला उनवानी प्रकरण गिरधारीलाल बनाम नानगराम आदि मुकदमा नम्बर 73 / 2015 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला द्वारा मुकदमा संख्या 73/2015 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन बाबत भूमि खसरा नम्बर 228,229,230,231,234,251,252,253,254,255 वाके ग्राम सन्तोषपुरा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट के पिता कानाराम का देहान्त हुआ उस समय अपीलांट 2–2–1/2 माह का था भूमियां बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्राप्त हुई। भूमियों को पैतृक साबित करना आवश्यक था विचाराधीन आदेश में नानगराम के पिता का नाम मांगु लिखा है जबकि उसका पिता कानाराम है। स्वंय कानाराम के नाम की जमाबन्दी पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेज का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया है। विधि अनुसार प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपुरणीय क्षति का बिन्दु मेरे पक्ष में है। रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है। अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय रेस्पोडेंट की खातेदारी थी समस्त भूमियां मांगु के नाम दर्ज हो गई थी। प्रभात, लच्छु, भगवाना, नानग की माता एक ही है। विवादित भूमि नानग पुत्र काना की स्वअर्जित है यह तथ्य अपीलांट को साबित करना है। स्वअर्जित या पैतृक का तथ्य मूलवाद में तय होना है राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति से इनको कोई नुकसान नही है। वाद बाहुल्यता रोकने हेतु टी. आई. दी गई है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। संवत 2028 से 2031 एवं संवत 2042 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता मांगु के नाम दर्ज रही है एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार सन्तान के जन्म लेते ही पैतृक सम्पत्ति में अधिकार हो जाता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है एवं यदि भूमि का व्ययन/हस्तान्तरण किसी भी रूप में होता है तो प्रार्थी को अपुरणीय क्षति होगी।

पक्षकारों के मध्य हक अधिकार का निर्धारण मूलवाद में सुनवाई के उपरान्त होना शेष है इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो। इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जो विधि सम्मत प्रतीत होती है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजबीर सिंह चौधरी)
पदेन प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर